6/4/26

पनावली पैदल / कविता प्रस्थान उप० आदि ग्रामीणों का डा० पता को स्थापित किया जाता है विस्तृत निर्देश प्रदत्त है लिया जाकर पनावली रवाना हुए गयी / पनावली पौधारोपण सुधार के 1298 के पद लेकर पनावली जिला से एक नगर है रवाना

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
32/2025	26.03.2025	06.04.2026

बउनवान

1. लाली पुत्री सुरजभान जाति अहीर निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. सविता पुत्री सुरजभान अहीर निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

श्री अशोक चौधरी :– प्रार्थी वकील

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि आराजी हाल ख0नम्बर 1135 रकबा 0.49 हैक०, वाके ग्राम खानपुर अहीर तह० मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है।
2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों ने गत ख0न0 1006 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से हाल ख0न0 1135 रकबा 0.49 है0, पैमूद किया गया है।
3. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थीयान की पैत्रिक आराजी रही है, जो आराजी जरियें विरास्त इन्तकाल स0 429 व इन्तकाल स0 936 से प्राप्त हुयी है,।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी का सम्वत 2029 में भी गत ख0न0 1006 रकबा 0.50 है0, ही दर्ज रहा है तथा सम्वत 2061 ल0 2064 में गत ख०न० 1006 रकबा 0.50 है0, रहा है एवं सम्वत 2065 ल0 2068 में गत ख0न0 1006 रकबा 0.50 है0, दर्ज रहा है, तथा सम्वत 2069 ल0 2072 में भी गत ख0 न0 1006 रकबा 0.50 है0, रहा है, परन्तु वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख०न० 1006 रकबा 0.50 है0, से हाल ख0 न0 1135 रकबा 0.49 है0, पैमूद कर, मिन प्रार्थीयान का रकबा 0.01 है0, कम कर दिया गया है, जो अंकन

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

काबिले दूरूस्ती है तथा मिन प्रार्थीयान की आराजी हाल ख०न० 1135 का रकबा पूर्व गत ख0 न0 1006 के रकबा 0.50 है0, के अनुसार ही हाल ख0 न0 1135 का रकबा 0.50 है0, दर्ज किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त किया जावे।

5. यह है कि अब दिनांक 22/10/2024 को मिन प्रार्थीयान को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त की तो मिन प्रार्थीयान को आराजी का रकबा कम होने की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीयान ने प्रतिवादी से राजस्व रिर्कोड दूरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रतिवादी ने रिर्कोड दूरूस्त करने से मना कर दिया। जिस पर अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीयान स्वीकार फरमाया जाकर गत ख0 न0 1006 रकबा 0.50 है0, से पैमूद हाल ख0न0 1135 रकबा 0.49 है0, वाके ग्राम खानपुर अहीर में स्थित है तथा हाल ख0न0 1135 का रकबा पूर्व गत ख0न0 1006 रकबा 0.50 है0, के अनुसार हाल ख0न0 1135 का रकबा 0.50 है0, दुरूस्त किया जाने की कृपा करे। महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :-

1. वादी/प्रार्थी द्वारा हाल खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.49 वाके ग्राम खानपुर अहीर का रकबा 0.49 के बजाय 0.50 करवाना चाहता है।
2. प्रार्थी द्वारा हाल खसरा नम्बर 1135 के साबिक खसरा नम्बर 1006 कि जमाबन्दी सं0 2061 से 64, 2065 से 68, 2069 से 72 कि वाके ग्राम खानपुर अहीर कि जमाबन्दी प्रस्तुत कि है। जिससे खसरा नम्बर 1007 का रकबा 0.50 है0 दर्ज है।
3. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से 2029 में खसरा नम्बर 1006 का रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है सम्वत 2071 के मिलान क्षेत्रफल में भी रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा ही दर्ज है।
4. 1 बीघा 19 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.4930 है0 बनाता है। गत रिकोर्ड में 1 बीघा 19 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली मे बदलकर खसरा नम्बर 1006 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा का 0.50 है0 दर्ज किया हुआ है। इसके आधार पर प्रार्थी रकबे का दुरस्ती करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कैम्प स्थल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी खाता संख्या 374, जमाबन्दी सम्वत 2061, जमाबन्दी 2065, जमाबन्दी सम्वत 2069, हाल मिसल बंदोबस्त, हाल मिलान, मिसल बदोबस्त सम्वत 2029, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 पेश किये।

प्रार्थी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी पूर्व से प्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति है, जो उन्हें विधिवत विरासत एवं इंतकाल के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2029, 2061—64, 2065—68 एवं 2069—72 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का रकबा लगातार 0.50 हैक्टेयर ही दर्ज रहा है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान बंदोबस्त के दौरान बिना किसी वैधानिक आधार एवं बिना प्रार्थी को अवसर प्रदान किए राजस्व कर्मचारियों द्वारा रकबे में 0.01 हैक्टेयर की कटौती कर दी गई, जो कि पूर्णतः अनुचित एवं अवैध है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि पूर्व रिकॉर्ड में जो रकबा निरंतर चला आ रहा है, वही सही एवं मान्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

प्रार्थी पक्ष द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि यदि किसी प्रकार का रूपांतरण (Conversion) किया गया है, तो भी वह प्रार्थी के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक कब्जा एवं उपयोग पूर्ववत 0.50 हैक्टेयर भूमि पर ही रहा है।

अतः प्रार्थी पक्ष ने निवेदन किया कि न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, हाल खसरा नंबर 1135 का रकबा पुनः 0.50 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त किया जाए।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यह निवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके खातेदारी भूमि के रकबे में वर्तमान बंदोबस्त के दौरान 0.01 हैक्टेयर की कमी कर दी गई है, जिसे पूर्व रिकार्ड के अनुसार 0.50 हैक्टेयर किया जाना चाहिए।

अभिलेखों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के उपरांत यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का मूल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा रहा है, जो कि मिलान क्षेत्रफल (Measurement) के अनुसार मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करने पर लगभग 0.4930 हैक्टेयर होता है। वर्तमान बंदोबस्त में इसी वास्तविक माप के आधार पर रकबा 0.49 हैक्टेयर अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व जमाबन्दियों में रकबा 0.50 हैक्टेयर अंकित होना मात्र रूपांतरण (Conversion) में हुई गोलाई (Rounding off) का परिणाम प्रतीत होता है, न कि वास्तविक क्षेत्रफल में वृद्धि। राजस्व अभिलेखों में शुद्धता हेतु वर्तमान बंदोबस्त में वास्तविक माप के अनुरूप 0.49 हैक्टेयर अंकन किया जाना विधिसम्मत एवं युक्तिसंगत है।

अतः यह सिद्ध नहीं होता कि राजस्व अभिलेखों में कोई त्रुटि या अन्यायपूर्ण कटौती की गई है, जिसे धारा 136 के अंतर्गत संशोधित किया जाना आवश्यक हो।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार एवं असंगत पाए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल-तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)